



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062026-273271
CG-DL-E-09062026-273271

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2814]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2026/ज्येष्ठ 18, 1948

No. 2814]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2026/JYAISTHA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2026

का.आ. 2908(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. S.O. 2046(E) तारीख 22/04/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 150E के अक्कलकोट- गाणगापूर खंड पर किमी 98/020 पर बोरी नदी पर प्रमुख पुल (Major Bridge) का निर्माण, तथा किमी 97/600 से किमी 98/350 तक पहुंच मार्गों सहित (कुल एंवम = 0.750 किमी) के (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 4-लेन/ब्रिज अप्रोचेस बनाना आदी) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "27/04/2026 को "दैनिक लोकमत" और, 27/04/2026 को "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 150E के अक्कलकोट- गाणगापूर खंड पर किमी 98/020 पर बोरी नदी पर प्रमुख पुल (Major Bridge) का निर्माण, तथा किमी 97/600 से किमी 98/350 तक पहुंच मार्गों सहित (कुल एवम = 0.750 किमी) के लिये अर्जित की जानेवाली संहरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सोलापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अक्कलकोट					
गांव का नाम: इटगे					
1	६९	निजी	जिरायत	0.05	श्री. संत गोपाळराव महाराज, पार्वती चंद्रकांत जमादार, शिवशंकर रामचंद्र कोणदे, सुभाष रामचंद्र कोणदे, सुनिता लक्ष्मण कोणदे, मंगेश लक्ष्मण कोणदे, महेश लक्ष्मण कोणदे,
Total				0.05	69

[फा. सं. RW/NH-12014/15/2024-MAH/Zone-IV/3A/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2026

S.O. 2908(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 2046(E) Dated:22/04/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for **Construction of Major Bridge on Bori River at km 98/020 (widening/four-laning/Bridge Approaches' etc.), Maintenance management and operation of national highway no 150E Akkalkot–Gangapur section in the stretch of land from from km 97/600 to km 98/350 (Total Length = 0.750 km) in the District of SOLAPUR in the state of MAHARASHTRA.**

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dayanik Lokmata” dated 27/04/2026, “The Times of India” dated 27/04/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling **Construction of Major Bridge on Bori River at km 98/020 national highway no 150E Akkalkot–Gangapur section in the stretch of land from from km 97/600 to km 98/350 (Total Length = 0.750 km) in the District of SOLAPUR in the state of MAHARASHTRA.**

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Akkalkot					
Village: Itage					
1	69	Private	Dry	0.05	Shri. Sant Gopalrao Maharaj, Parvati Chandrakant Jamadar, Shivshankar Ramchandra Konade, Subhash Ramchandra Konade, Sunita Laxman Konade, Mangesh Laxman Konade, Mahesh Laxman Konade, 69
Total				0.05	

[F. No. RW/NH-12014/15/2024-MAH/Zone-IV/3A/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director